

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-15 अ0प्र0-10-01/2024

पटना, दिनांक 13/12/24

457

ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों (मुख्य अभियंता कार्यालय एवं ब्रांडा को छोड़कर) में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा की उपधारा (1) में निहित प्रावधान के तहत निम्न रूप से लोक सूचना पदाधिकारी नामित/प्राधिकृत किया जाता है :-

1. सभी कार्य प्रमंडलों में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता,
2. सभी जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडलों में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता,
3. सभी कार्य अंचलो में पदस्थापित तकनीकी सलाहकार (कार्यपालक अभियंता स्तर के),
4. सभी जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में पदस्थापित सहायक अभियंता।
5. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -- 15 अ0प्र0-10-01/2024

8223

पटना, दिनांक

13/12/24

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/ सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/प्रथम अपीलीय प्राधिकार/लोक सूचना पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -- 15 अ0प्र0-10-01/2024

8223

पटना, दिनांक

13/12/24

प्रतिलिपि :- राज्य सूचना आयोग, चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना-15 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -- 15 अ0प्र0-10-01/2024

8223

पटना, दिनांक

13/12/24

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव